

फांके-357

दिनांक 24/07 दिनांक 14.3.2019

142/162

परिशिष्ट-6

((प्रपत्र-ब) पृष्ठ 4/4)

भाग-द

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

(कुल 24 नग ब्लॉक)

जाग्रति विद्या (विस्तार) यो० सं०-11, मेरठ

ब्लॉक सं०- C-3 से C-18 व ब्लॉक C-21 से C-28 तक

वाड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या - - - - - पर
निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री अधीक्षण अभियन्ता (द्वितीय वृत्त, मेरठ)
(पदनाम) - - - - विकास परिषद द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य परिषद द्वारा दिनांक
- 11.02.2019 को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना
और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता
है।

रेरा पंजीकरण सं. UPRERA PRJ 9757

अधी. प्रभ. द्वितीय वृत्त मेरठ के पत्र सं. 715/ए-22/93/दि 13.3.19 द्वारा अनुमोदित।

दिनांक


AE


AE


AE


AE/CE

हस्ताक्षर.
पदनाम . अधीक्षासी अभियन्ता
कार्यालय की मुहर 13/3/19

अधीक्षासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-5
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
मेरठ